छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

दूसरा तल, हरिभूमि प्रेस परिसर, धमतरी रोड, टिकरापारा रायपुर–492001
फोन् + 91 – 771 – 2273151 फैक्स + 91 – 771 – 2273151
website – www.cgtbc.org, Email- cgtbcraipur@gmail.com

कमांक / 303 /पापुनि/मुद्रण/प्रे.–पं./2015, रायपुर, दिनॉक 19/05/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स, सिविल लाईन,
रायपुर।

विषय – " प्रेस पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 02 में संशोधन" को अपलोड करने बाबत् ।

संदर्भ– निगम पत्र कमांक 260 दिनांक 07.05.2015

विषयान्तर्गत "छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम में प्रेस पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र" के पृष्ठ कमांक 02 को संशोधन अनुसार पुनः कृपया शासन की वेबसाईट www.cg.gov.in में इसे अपलोड करने का कष्ट करेंगे ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार हार्डकापी 01 पृष्ठ।

प्रबंध संचालक 19/5/15
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम
रायपुर

(i) Performance Certificate of printing work done for text book corporation of any other state.
(ii) Photocopy Bill of WEB OFFSET Machine with cut off size. In the name of firm/company .
(iii) Photocopy Bill of SHEET FED OFFSET Machine. In the name of firm/company.
(iv) Photocopy Bill of Perfect Binding Machine. In the name of firm/company.
(v) Bill of Cutting Machine & Wire Stitching Machine in the name of firm/company.
(vi) Photocopy Bill of Electricity For current month of Printing Press Unit.
(vii) Photocopy Bill of Shredding machine purchased by the Printer.
(viii) If space is on rental basis submit agreement copy.
(ix) If space is owned - separate land registry paper of each firm.
(x) Debard/Black listed firm in any Government/Semi Government/Autonomous body or State Government need not to apply for registration.

Printer's Official Signatory
Name and Designation with Rubber Stamp
or Official Seal of the Firm

Date :
Place :

1. **पंजीयन के लिए निर्धारित आवेदन– पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति भेजना आवश्यक होगा, अन्यथा पंजीकरण पर विचार नहीं किया जावेगा**

   (3.1) पंजीयन शुल्क रूपये 10000/– कॉस्ड बैंक ड्राफ्ट (अहस्तांतरित) प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर के नाम से।

   (3.2) प्रेस एक्ट के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी (.....) के समक्ष दिये गये घोषणा पत्र की उनके प्रमाणीकरण सहित सत्य प्रतिलिपि।

   (3.3) अद्यतन **ITR** की प्रति ।

   (3.4) **प्रेस का SSI / Company Act के अंतर्गत स्थापना का प्रमाण पत्र**

   (3.5) मशीनों के बिलों की छाया प्रतियाँ।

   (3.6) **VAT** क्लियरेंस के अद्यतन सर्टिफिकेट की प्रति ।

2. पंजीयन की अवधि प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पंजीयन अवधि कार्य की आवश्यकता अनुसार बढ़ायी भी जा सकती है ।

3. पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित इस कार्यालय में **दिनांक 22 मई 2015** शाम 5 बजे तक प्राप्त होना चाहिए जो आवेदन पत्र **22 मई 2015** के पश्चात प्राप्त होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. कोई भी मुद्रणालय प्रबंध संचालक छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा रखी गई मुद्रणालयों की सूची से अपना पंजीयन कराने के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा और प्रबंध संचालक किसी भी मुद्रणालय को पंजीयन के लिए बिना कोई कारण बताए इंकार कर सकते हैं। जिस मुद्रणालय का पंजीयन नहीं किया जावेगा उसे पंजीयन शुल्क की राशि वापिस कर दी जायेगी।

5. प्रेस पंजीयन के पूर्व यदि निगम चाहे तो मुद्रणालयों की जगह एवं मशीनों का निरीक्षण, निगम के अधिकारियों से किसी भी समय करवा सकता है।

6. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा आंमत्रित निविदाओं में केवल छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम में पंजीकृत मुद्रणालय ही भाग ले सकेंगे ।

7. यदि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मत से किसी पंजीकृत मुद्रणालय ने कारोबार समाप्त कर दिया हो या संविदा का किसी तरह भी उल्लंघन किया हो, या पंजीयत